

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 248*

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक की खपत और राजसहायता

248* श्री नारायण दास गुप्ता:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरिया की वार्षिक आवश्यकता, उत्पादन और आयात का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने उर्वरक खपत और कृषि उत्पादकता पर नैनो यूरिया के प्रभाव का आकलन किया है;
- (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई उर्वरक राजसहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) आयातित उर्वरकों और कच्चे माल पर निर्भरता कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘उर्वरक की खपत और राजसहायता’ के संबंध में श्री नारायण दास गुप्ता द्वारा पूछे गए दिनांक 11.08.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.248* के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

- (i) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएण्डएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। डीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।
- (ii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।
- (iii) यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात को पहले ही निश्चित कर लिया जाता है ताकि समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- (iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।
- (v) राज्यों के लिए रेलगाड़ियों में पर्याप्त रैक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेलगाड़ियों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय किया जाता है।
- (vi) राज्य के भीतर जिला/ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, चल रहे खरीफ मौसम 2026 के दौरान देश में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। 01.04.2026 से 06.08.2026 तक की अवधि के दौरान इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

चल रहे खरीफ मौसम 2026 (01.04.26 से 06.08.26 तक) के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति					
आंकड़े एमटी में					
क्र.सं.	उत्पाद	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	06.08.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक
1	यूरिया	132.89	187.75	126.14	61.61
2	डीएपी	38.12	45.56	29.40	16.16
3	एमओपी	12.06	14.80	6.38	8.42
4	एनपीकेएस	58.04	91.85	48.68	43.17

इसके अलावा, देश में स्वदेशी रूप से उत्पादित एसएसपी, जिसका उपयोग मिट्टी को फॉस्फेटिक या 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने के लिए डीएपी के विकल्प के रूप में किया जाता है, का भी अंतिम स्टॉक 20.79 एलएमटी है।

इसके अलावा, पिछले 3 वर्षों के दौरान इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के बारे में जानकारी निम्नानुसार है

2023-24 से 2025-26 तक उर्वरकों की अखिल भारतीय उपलब्धता की स्थिति													
आंकड़े एलएमटी में													
क्र.सं.	वर्ष	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	2025-26	381.45	450.79	396.60	110.42	121.72	100.80	26.82	30.58	22.56	158.49	198.97	150.37
2	2024-25	364.01	443.83	387.92	111.92	105.14	96.29	22.21	30.85	22.02	151.29	183.72	149.72
3	2023-24	356.08	437.47	357.81	110.18	127.42	109.73	27.62	22.74	16.45	126.31	156.51	116.80
1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता													
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री													

इसके अलावा, पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस उर्वरकों के आयात के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

पिछले 3 वर्षों में देश में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस का आयात				
आंकड़े एलएमटी में				
वर्ष	यूरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीकेएस
2023-24	70.42	55.67	28.69	22.17
2024-25	56.47	45.69	35.41	22.72
2025-26	103.50	61.94	29.00	37.08

पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में यूरिया, डीएपी और एनपीकेएस उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

पिछले 3 वर्षों में देश में यूरिया, डीएपी और एनपीकेएस का उत्पादन			
आंकड़े एलएमटी में			
वर्ष	यूरिया	डीएपी	एनपीकेएस
2023-24	314.09	42.97	101.85
2024-25	306.67	37.72	121.05
2025-26	293.26	39.14	128.37
स्रोत : dbtfert.nic.in			
एमओपी का उत्पादन घरेलू स्तर पर नहीं किया जाता है			
एनपीके में मिश्रित उर्वरक और अमोनियम सल्फेट शामिल हैं			

(ख): उर्वरक की खपत पर नैनो यूरिया के प्रभाव का आकलन करने के लिए, उर्वरक विभाग और उर्वरक कंपनियों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के साथ किए गए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) अध्ययन निम्नानुसार हैं:

(i) एनपीसी ने नैनो यूरिया के प्रदर्शन और उसे अपनाने का आकलन करने के लिए उर्वरक विभाग के सहयोग से दो अध्ययन किए हैं। 5 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित एक समझौता जापन के तहत पहले अध्ययन में दस राज्यों में पारंपरिक यूरिया की तुलना में नैनो यूरिया की प्रभावकारिता, उपयोगिता और प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। 14 नवंबर 2025 को हस्ताक्षरित एक समझौता जापन के तहत दूसरे अध्ययन में इस बात का मूल्यांकन किया जा रहा है कि इन दस राज्यों में नैनो यूरिया किस हद तक पारंपरिक यूरिया की जगह ले सकता है।

(ii) आईसीएआर ने उर्वरक विभाग के सहयोग से दो अध्ययन किए हैं। पहले अध्ययन में विभिन्न कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में फसल वृद्धि, मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के ग्रहण (अपटेक) पर नैनो उर्वरकों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। इस परियोजना में देश भर के कई सहयोगी कृषि संस्थान शामिल हैं। जबकि, दूसरे अध्ययन में भारत के विविध कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में फसल उत्पादकता, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, फसल उपज और गुणवत्ता, नाइट्रोजन उद्ग्रहण क्षमता और मिट्टी के नाइट्रोजन संतुलन और जैविक गतिविधि पर नैनो यूरिया के दीर्घकालिक प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा नैनो यूरिया पर किए गए एक मौसम बहु स्थानिक मूल्यांकन परीक्षण (पंतनगर, करनाल, नई दिल्ली, कटक, बैरकपुर, बारामती, कोयंबटूर, बेंगलुरु) में यह प्रदर्शित हुआ कि गेहूं, चावल, ज्वार, सरसों, मक्का, रागी में नैनो यूरिया के पूर्ण अनुप्रयोग के साथ-साथ प्रिल्ड यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन की 75% अनुशंसित खुराक के अनुप्रयोग से हुई उपज सांख्यिकीय रूप से प्रिल्ड यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन की 100% अनुशंसित खुराक के अनुप्रयोग के तहत हुई उपज के बराबर थी। हालांकि, भोपाल और लुधियाना में, नैनो यूरिया के साथ प्रिल्ड यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन की 50 या 75% अनुशंसित खुराक के अनुप्रयोग से हुई उपज प्रिल्ड यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन की 100% अनुशंसित खुराक के अनुप्रयोग की तुलना में गेहूं की उपज कम हुई। दीर्घकालिक प्रभाव अध्ययन करने के लिए यह प्रयोग पांच साल तक होते रहेंगे।

आईसीएआर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, किसान मेलों, क्षेत्र प्रदर्शनों, मृदा परीक्षण, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक खेती, जैव उर्वरकों, फसल विविधीकरण, हरित खाद, एकीकृत कृषि प्रणाली, प्राकृतिक खेती आदि के माध्यम से उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग की सिफारिश और प्रचार करता है। आईसीएआर ने मृदा परीक्षण के मानों और मृदा परीक्षण फसल प्रतिक्रिया समीकरणों के आधार पर सामान्य उर्वरक अनुशंसा (जीएफआर) भी तैयार की है और उन्हें राज्य सरकारों के साथ साझा किया है। ये उपाय जैविक पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करते हैं, पोषक तत्वों के उपयोग दक्षता में सुधार करते हैं और पोषक तत्वों के नुकसान को कम करते हैं, जिससे सतत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है।

(ग): सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2023-24 से 2025-26 तक के दौरान संवितरित कुल उर्वरक सब्सिडी का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रूपए में)			
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस)	2023-24	2024-25	2025-26
(क) स्वदेशी पीएंडके	36,270.00	34,010.00	41,000.00
(ख) आयातित पीएंडके	28,929.57	18,800.00	33,999.99
कुल एनबीएस	65,199.57	52,810.00	74,999.99
यूरिया सब्सिडी			
(क) स्वदेशी यूरिया	1,02,027.00	1,03,319.50	94,219.50
(ख) यूरिया का आयात	28,193.94	21,000.00	47,956.24
कुल यूरिया सब्सिडी	1,30,220.94	1,24,319.50	1,42,175.74
कुल सब्सिडी (सकल)	1,95,420.51	1,77,129.50	2,17,175.73

(घ): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुंडम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामतः गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमशः उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-III। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अतः, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए

की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2026-27 के दौरान बढ़कर 269.42 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामतः तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। इसके अलावा, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप, असम के मौजूदा परिसर के भीतर जेवीसी के माध्यम से 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसे असम वैली फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से जाना जाएगा। ये दोनों परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटी बढ़ा है।

उपर्युक्त सभी उपायों से रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है, जो वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष था वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 314.09 एलएमटी हो गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान देश में 293.26 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ है।

इसके अलावा, सीसीईए ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026) को 15.07.2026 को मंजूरी दी।

इसके अलावा, सरकार ने 01.04.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आयातित फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमआरपी की तर्कसंगतता पर 18.01.2024 के दिशानिर्देशों के माध्यम से घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किए गए हैं, जैसे कि आयातकों/उत्पादकों और एकीकृत उत्पादकों को क्रमशः 8%/10% और 12% का उचित लाभ दिया जाता है; अनुरोधों के आधार पर, नई उत्पादन इकाइयों या मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को एनबीएस स्कीम के तहत मान्यता दी गई/रिकॉर्ड में लिया गया है; एनबीएस स्कीम के तहत कवर किए गए पीएंडके उर्वरकों की संख्या 2021 में 22 ग्रेड से बढ़कर 28 ग्रेड हो गई है; मिट्टी को फॉस्फेटिक या 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ, 2022 से एसएसपी पर माल भाड़ा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा स्कीम के तहत उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनबीएस स्कीम के तहत पोषक तत्वों की दरें अर्द्ध-वार्षिक आधार पर तय की जाती हैं।
